

प्रेसनोट दिनांक 09.04.2021

1. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री दिवाकर थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विवेक कुमार पुत्र रामलाल नि0 पूरे पहलवान वैसिंह दर्शननगर थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 239/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री दिवाकर थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सचिन यादव पुत्र परसोत्तम नि0 अहिरन का पुरवा गद्दोपुर थाना कैण्ट अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 650 ग्राम अवैध गांजा बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 240/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अदील अहमद थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि दिनेश कुमार पुत्र राम अवध नि0 पूरे हुसैन खॉ थाना को0नगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 241/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो0 शाहिद उर्फ लाले पुत्र मो0 हासिम नि0 रामनगर घोसियाना थाना को0नगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 242/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 08.04.21 को वादी श्री नितीश कुमार श्रीवास्तव प्रभारी निरीक्षक को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. दीपक मिश्रा उर्फ जादूगर उर्फ मदारी पुत्र राकेश कुमार मिश्रा नि0 मुरादपुर थाना अकबरपुर, अम्बेडकरनगर 2. जयंत कुमार चौबे उर्फ रिकू पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि0 बीकापुर थाना गोसाईगंज अयोध्या जेल में अभि0गण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर अपने साथियों के आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु टपेबाजी व वाहन चोरी कर नम्बर प्लेट बदलकर अपराधिक कृत्य करना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 243/21 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री सत्य प्रकाश यादव थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सहिदुल पुत्र रमजान अली नि0 तकिया रीडगंज थाना को0नगर अयोध्या आदि 05 नफर सभी गिर0 अभि0गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रूपयो के हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना व पकड़े जाना, मौके से मालफड़ 1470 रूपये व जामा तलाशी के 530 रूपये व ताश के 52 पत्ते व बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 244/21 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राम प्रकाश मिश्रा थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अशोक कन्नौजिया पुत्र लाल चन्द्र कन्नौजिया नि0 ब्लाक नं0 20 कांशीराम कालोनी थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 186/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 08.04.21 को वादी श्री भूपनाथ पाठक पुत्र राघव राम नि0 अमौना थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के बहनोई सूर्यदेव मिश्रा को टक्कर मार देना जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 137/21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री विनय कुमार यादव थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजा मान सिंह पुत्र हनुमन्त सिंह नि0 सरियांवा थाना पूराकलन्दर अयोध्या अभियुक्त द्वारा दो स्कार्पियो पर पोस्टर, बैनर चस्पा कर भीड़ एकत्र कर प्रचार प्रसार कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 139/21 धारा 188, 171जी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 08.04.21 को वादी श्री जय प्रकाश सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र प्रथम सदर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुधीर गोस्वामी पुत्र परमेश्वर गोस्वामी नि0 पूरे पयासी मिश्र का पूरा थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0

अभियुक्त के कब्जे से 200 एमएल की 31 शीशी देशी शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 108/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कुलदीप सिंह पुत्र स्व0 राम धीरज सिंह नि0 मोहरमपुर अरती थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0 उक्त अभि0 थाना स्तर पर टाप-10 अपराधी चिन्हित हैं। अभियुक्त के कब्जे से 120 ग्राम नशीला पाउडर डायजापाम बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 122/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 08.04.21 को वादी श्री मनखुश सरोज पुत्र वंशराज नि0 श्रीरामपुर थाना कूडेभार सुलतानपुर द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई प्रदीप कुमार जो सिचाई विभाग में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत थे की मोटर साइकिल में टक्कर मार देना, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 161/21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री दिवाकर कुमार थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुभाष वर्मा पुत्र मंशाराम वर्मा नि0 रणडौली थाना हैदरगंज अयोध्या आदि 16 नफर अभि0गण द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने-अपने प्रधान प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 87/21 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

14. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राजकुमार पटेल थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आदित्य सिंह पुत्र कर्मराज सिंह नि0 धरसौली थाना जयसिंहपुर सुलतानपुर गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 88/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

15. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री थीरेन्द्र कुमार आजाद थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बृजभान पुत्र रामदीन नि0 कुरावन पाण्डेय का पुरवा थाना हैदरगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 89/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

16. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सदानन्द पाठक पुत्र कृष्ण बहादुर पाठक नि0 खिहारन थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 166/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

17. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री जय किशोर अवस्थी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विजय प्रकाश पुत्र राम कृपाल नि0 मुकीमपुर पहाड़पुर थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 167/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

18. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम प्रगट कोरी पुत्र सहजराम नि0 भाईपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 168/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

19. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री संतोष कुमार उपाध्याय थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मोनू पुत्र इबलाल उर्फ बिल्ला नि0 भेलसर थाना को0रुदौली अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 174/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

20. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जिला पंचायत पद प्रत्याशी अब्दुल करीम उर्फ बबलू पुत्र साबिर अली नि0 ऐहार थाना को0रुदौली अयोध्या आदि 04 नफर अभि0गण द्वारा बिना अनुमति के मोटर साइकिल जुलूस निकाल कर पम्पलेट बांटकर चुनाव

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना कोरूदौली में मु0अ0सं0 175/21 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

21. दिनांक 08.04.21 को वादी उ0नि0 श्री विजय कुमार यादव थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. वेद प्रकाश पुत्र राम सुचित नि0 2. राम भवन पुत्र मंहगू नि0गण सुलतानपुर थाना पटरंगा अयोध्या **दोनो गिर0** अभियुक्तगण के कब्जे से 200 एमएल की 80 अदद शीशी वाह आरेंज ब्राण्ड कुल 16 लीटर बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 79/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।